

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीतासीन अधिकारी- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 287/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/429

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.नरसिंहा पुत्र दुर्गा उर्फ दुर्गासिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोपड़ी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.रूपसिंह पुत्र शम्भूसिंह 2.धामू पत्नी हरजीराम 3.मालाराम पुत्र हरजीराम 4.मोहन पुत्र हरजीराम जाति रावणा राजपूत निवासी गोपड़ी तहसील पचपदरा
2.भांगी उर्फ भांगीदेवी पत्नी ममा उर्फ मगाराम जाति रावणा राजपूत निवासी गोपड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		5.जैसाराम पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल निवासी गोपड़ी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 6.शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा पचपदरा 7.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थीगण
- 2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय



आदेश

दिनांक 17/02/25

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गोपड़ी पटवार हल्का गोपड़ी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 369/124 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गोपड़ी पटवार हल्का गोपड़ी तहसील पचपदरा की खेत

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 369/124 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्राथीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्राथीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण के नोटिस तागील शुदा प्राप्त हुए। विप्राथी संख्या 1 व 5 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपालसिंह राठौड़ द्वारा विप्राथी संख्या 2 से 4 की ओर से बकालतनामा पेश किया गया। विप्राथी संख्या 2 से 4 अधिवक्ता को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात विप्राथीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्राथीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने प्राथीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्राथीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्राथीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गोपड़ी पटवार हल्का गोपड़ी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 369/124 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्राथीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कारत चला आ रहा है,प्राथीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्राथी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्राथीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्राथीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्राथीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्राथीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्राथी झगडालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्राथीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्राथीगण द्वारा विप्राथी को मना करने के उपरांत भी विप्राथी प्राथीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्राथीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गोपड़ी पटवार हल्का गोपड़ी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 369/124 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने प्राथीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम गोपड़ी पटवार हल्का गोपड़ी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 369/124 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टर भूमि प्राथीगण की खातेदारी में है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से सिद्ध है। इस प्रकार प्राथीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है,और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्राथीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-**धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:**



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1 (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 04.7.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोपड़ी पटवार हल्का गोपड़ी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 369/124 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो, तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 17.02.2015 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा